कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 310/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-फूलपुरः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 25-07-2025 को मुकदमा वादिनी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिया गया कि दिनांक 22-7-25 की समय लगभग 4 बजे शाम को पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को आदित्य निषाद S/O अजय निषाद साकिन लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा बहला फूसलाकर भगा ले जाना जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम आदित्य निषाद S/O अजय निषाद साकिन लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 नवनीत सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना धारा 180 बीएनएसएस व मेडिकल के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 30.08.2025 को उ0नि0 नवनीत सिंह मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 आदित्य बिन्द पुत्र स्व0 गोविन्द बिन्द साकिन केवटाना गली चन्द्रशेखर आजाद नगर (घास मण्डी) कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हालमुकाम लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को रोजवेज के पास स्थित पोखरे के पास कस्बा फूलपुर से समय करीब 07.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. आदित्य बिन्द पुत्र स्व0 गोविन्द बिन्द साकिन केवटाना गली चन्द्रशेखर आजाद नगर (घास मण्डी) कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हालमुकाम लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-369/25 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 नवनीत सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़

2- का0 मुरलीधर पटेल थाना फूलपुर आजमगढ़

02. थाना मुबारकपुरः अवैध हुक्काबार संचालक सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2025 को प्र0नि0 श्री शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली की अलीनगर चौराहे के पास आउल कैफे मे अवैद्य रूप से बिना किसी विधिक लाइसेन्स हुक्काबार संचालित हो रहा है जहां पर कम उम्र के लड़को को अजीजुर्रहमान नाम के संचालक द्वारा हुक्काबार का लाइसेन्स होने का झांसा देकर बुलाया जाता है तथा हुक्का पिलाकर उन्हे नशे का आदि बनाया जाता है। हुक्का संचालक द्वारा इस समय भी कुछ लड़को को अपने कैफे मे हुक्का पिलाया जा रहा है जिससे उनके द्वारा उपेक्षापूर्ण कार्य करके जीवन के लिए संकट उत्पन्न किया जा रहा है तथा वर्तमान समय मे हुक्का पीने वालो की भारी संख्या मौजूद है तथा उनके साथ उनका संचालक भी मौजूद है यदि आप जल्दी करे तो पकड़े जा सकते है। उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल अलीनगर चौराहे के पास स्थित गुड्डू मिर्जा के मकान के छत पर पहुँचे पुलिस बल कमरे के अन्दर प्रवेश किये तो देखा कि कैफे के अलग अलग मेज पर 10 हुक्के रखे हुए थे जिनपर कुछ लोग हुक्के मे लगी पाइप से फ्लेवरयुक्त तम्बाकू पी रहे थे कि पुलिस वालो को अचानक हुक्काबार के अन्दर देखकर मौजूद लोग भागने लगे मौके से हुक्काबार संचालित करने वाले तीन लोग व हुक्का पीते हुए दो लोग पकड़े गये। आउल कैफे की तलाशी ली गयी तो 10 अदद हुक्का, 03 अदद हुक्का राड, 07 अदद हुक्का पाइप, 06 अदद चीलम, 07 अदद फुकनी, एक अदद चिमटी, फ्लेवर 24 डिब्बा व विभिन्न कम्पनी के 107 पैकेट फ्लेवर, सिगरेट विभिन्न कम्पनी के 17 पैकेट बरामद हुआ। सभी पकड़े गये व्यक्तियो से हुक्का व तम्बाकू रखने व हुक्काबार चलाने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे तथा कड़ाई से पूछने पर अजीजुर्रहमान द्वारा बताया गया कि साहब उक्त कैफे व हुक्काबार मै अपने दोनो पुत्र आकिब रहमान व नवाजिस रहमान के साथ संचालित करता हूँ तथा अबु तोराब व कमालुद्दीन मेरे यहां हुक्का पीने के लिए आये थे। एक हुक्का का रेट 150 रूपया है तथा इससे जो भी लाभ होता है उससे मै अपना व अपने परिवार का जीवकोपार्जन करता हूँ। साहब हम लोगो से गलती हो गयी हमे माफ कर दे। इस प्रकार प्रतिबन्धित फ्लेवर्ड युक्त तम्बाकू रखने, अवैद्य रूप से हुक्काबार चलाने व विधि द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन न करने तथा आउल कैफे के अन्दर काफी संख्या मे लोगो को बैठाना अन्तर्गत धारा 223/271/272 BNS व धारा 4/21 सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का दण्डनीय अपराध बताकर अभियुक्तगण अजीजुर्रहमान, आकिब रहमान, नवाजिस रहमान, अबु तोराब तथा कमालुद्दीन उपरोक्त को समय करीब 22.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 388/2025 धारा धारा 223/271/272 BNS व धारा 4/21 सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थानः- आउल कैफे अलीनगर चौराहा

बरामदगी का विवरणः-

1-10 अदद हुक्का, 03 अदद हुक्का राड, 07 अदद हुक्का पाइप, 06 अदद चीलम,
2-07 अदद फुकनी, एक अदद चिमटी, फ्लेवर 24 डिब्बा व विभिन्न कम्पनी के 107 पैकेट फ्लेवर,
3-सिगरेट विभिन्न कम्पनी के 17 पैकेट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अजीजुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान निवासी अलीनगर ईदगाह के पास थाना मुबारकपुर आजमगढ़
2. आकिब रहमान पुत्र अजीजुर्रहमान निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़
3. नवाजिस रहमान पुत्र अजीजुर्रहमान निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़
4. अबु तोराब पुत्र मो0 नईम निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़
5. कमालुद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 388/2025 धारा धारा 223/271/272 BNS व धारा 4/21 सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1-प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2-उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

03.थाना गम्भीरपुरः छेड़खानी व अपहरण के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.03.2025 को वादिनी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी की गयी तथा अपने परिजनों के सहयोग से वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-73/2025 धारा-87/137(2)/74/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 30.08.2025 को उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश कश्यप मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. रामसेवक पुत्र स्व0 विक्रमउम्र करीब 47 वर्ष 2. राजन पुत्र रामसेवक औसत उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण हरिश्चन्द्रपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के घर पर दबिश दिया गया तो घर पर मौजूद मिले जिन्हें कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 09.35 बजे से घर से ही गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. रामसेवक पुत्र स्व0 विक्रम उम्र करीब 47 वर्ष
2. राजन पुत्र रामसेवक औसत उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण हरिश्चन्द्रपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0-73/2025 धारा-87/137(2)/74/351(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 नितेश यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अभिषेक सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 अभिषेक यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

04. थाना रौनापारः फोन पे पर गलती से दुसरे नम्बर पर भेजे गये 10,900/- रूपये आवेदक के खातें में वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

आवेदक राजेश राम पुत्र श्यामकेर निवासी सरगहा सागर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिनांक 13.12.2024 को मोबाईल नम्बर से पैसा (11,800/-) भेजते समय मोबाईल नम्बर का एक अंक गलत हो जाने के कारण पैसा(11,800/-) किसी अन्य के खाते मे चला गया। आवेदक द्वारा उक्त मो0नं0 से सम्पर्क किया गया तो उक्त मो0नं0 संचालक द्वारा पैसा भेजने से मना कर दिया गया तत्पश्चात आवेदक द्वारा दिनांक 17.12.24 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया जिस के अनुपालन मे साईबर हेल्ड डेस्क रौनापार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को साईब क्राईम पोर्टल पर शिकायत संख्या 231122401XXXXX दर्ज कराया गया। आवेदक का कुल 10,900/- रुपये विपक्षी के खाते मे होल्ड कराया गया।

बरामदगी का विवरणः-

आवेदक राजेश राम पुत्र श्यामकेर निवासी सरगहा सागर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा साईबर हेल्प डेस्क रौनापार पर दिनांक 17.12.24 को साईबर फ्राड के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर साईबर हेल्ड डेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए। आवेदक के प्रार्थना पत्र को साईबर क्राईम पोर्टल पर आनलाईन शिकायत संख्या 23112240XXXXX दर्ज कराया गया। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त आवेदक का कुल कटा हुआ 11,800/- रुपये मे से 10,900/- रुपये विपक्षी के खाता फिनो पेमेन्ट बैंक मे होल्ड कराया गया। पैसा होल्ड होने के उपरान्त विधि कार्यवाही के अनुसार मा0 न्यायालय से कोर्ट आर्डर प्राप्त करते हुए आवेदक का 10,900/- रुपये आवेदक के खाते मे वापस कराय गया।

पुलिस टीम का विवरणः-

1- साईबर टीम थाना रौनापार आजमगढ़

2-